केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थानिक क्षेत्र (Institutional Area)
शहीद जीत सिंह मार्ग, Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली / New Delhi – 110016
Website: www.kvsangathan.nic

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

SPEED POST

F. 11058-प्र.स्ना.शि. /2018/केविसं–मु./आर0पी0एस0/2276-77

दिनांक – 01.07.2018

कार्यालय – आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्र0स्ना0 अध्यापकों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1 दिनांक 12.08.1987, 03.11.1987 एवं 06.02.1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार **पे बैंण्ड-3 ₹.15600-39100/- ग्रेड पे ₹.5400/– में** चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों । यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारण वश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि वापिस लौटाना होगी ।

संबधित प्र.स्ना.शिक्षकों का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम–FR 22 (I)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा । तदानुसार उनके पास विकल्प हैं–(1) नए वेतनमान मे अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतन–वृद्धि की तारीख से नियत करवा लें । यदि संबधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतन–वृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प लेता है तो उनका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनवेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post.) वेतन निर्धारण का विकल्प संबधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने के तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होंगा तथा इस संदर्भ में जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा । संबधित प्र.स्ना.शिक्षकों के विवरण निम्नानुसार है –

प्र.स्ना.शिक्षक(TGT) –पे बैंड-3 (₹.15600-39100) ग्रेड पे ₹.5400/-(level 10 as per 7th CPC)

क्रम सं0	वरीयता कमांक	प्र.स्ना.शिक्षक अध्यापक का नाम	के0वि0 का नाम	प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर वरिष्ठ वेतनमान तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	897	श्रीमती डी भगवती SMT BHAGABATI DEBNATH TGT(SKT)	कंचरापारा KANCHRAPARA NO.2	30.09.1986	30.09.1998	30-09-2010
2	324	श्री बी एम गौडा SH B MONAPPA GOWDA TGT(WET)	नं0 1 मैंगलूरु NO 1 MANGALURU	14.02.1985	14.02.1997	26-04-2009*

NOTE: (*) Grant of selection scale from the date of completion of In-service course.

संबधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, वांछित शैक्षिक योग्यता ना होने के कारण निम्नलिखित प्र0स्ना0शि0 को चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया गया -

कम सं0	वरीयता कमांक	प्र.स्ना.शिक्षक अध्यापक का नाम	के0वि0 का नाम	प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्र.स्ना.शिक्षक के पद पर वरिष्ठ वेतनमान तिथि
1	2051	श्री जी पी मानव SH G P MANAV TGT.(SKT)	नेपानगर NEPANAGAR	15.01.1990	15.01.2002

(ताजुद्दीन शेक)

सहायक आयुक्त (आर पी एस)

o/c

प्रतिलिपि प्रेषित –

1 उपायुक्त, के.वि.सं. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ एवं उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे अपने क्षेत्रीय कार्यालय के संबधित प्राचार्य एवं शिक्षक को आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित करे।

2 प्राचार्य , संबधित केन्द्रीय विद्यालय को प्रार्थना की जाती है कि वे --

क– चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हों । कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।

ख – संबधित शिक्षक से प्रोफोर्मा में वचनबंध – तीन प्रति– ले ली जाएं जिसकी एक प्रति उसके सेवा–पुस्तिका, दूसरी प्रति उसके व्यक्तिगत–मिसिल तथा तीसरी प्रति संबधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए ।

ग–इस आदेश को प्रभावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि (1) संबधित शिक्षक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला/विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और (2) सबधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 06 वर्षो में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो ।

ध–अन्य विवरण जैसे पदभार ग्रहण तिथि/वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाएं ।

3. ईडीपी सैल up load the order in the web site of KVS.